

अनवान बनाम
 प्रकरण संख्या/ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर संख्या जो इसका पालना
18 ⁰³ / ₂₅	अधिवक्तागण उपस्थित। आदेश प्राप्ति पत्र आ. 22 नि. 307C अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्राप्ति का प्राप्ति पत्र भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। जिसके तहत वादिया का वाद अबेट किया जा चुका है। वादपत्र का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा वादपत्र, वादी अबेट होने पर खारिज किया जाकर प्रकरण प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम की हद तक चलए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 8/4/25 को पेश हो।	
8 ⁴ / ₂₅	बार सघ का कार्य म्यागत है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 25/4/25 को पेश हो। <u>Kanna</u>	
25 ⁴ / ₂₅	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 20/4/25 को पेश हो। <u>Kanna</u>	
30 ⁰⁴ / ₂₅	प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रतिवादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को रूफ-2 कर 3 बार आवाज लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अदम्य पैरवी, अदम्य हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर गम्वार से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)